प्रेस नोट **दिनांक 07.02.2026**

01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 07.02.2026 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरियें मुखबिर की सूचना पर कमलुद्दीनपुर के पास से मु0अ0स0 06/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त गणेश राम पुत्र बलधारी राम निवासी ऐरा बुजुर्ग थाना तरंवा जनपद आजमगंढ़ के कब्जे से 01 अदद अबैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. गणेश राम पुत्र बलधारी राम निवासी ऐरा बुजुर्ग थाना तरंवा जनपद आजमगंढ़

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 06/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नितेश कुमार तिवारी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
2. का0 प्रदीप कुमार थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

अपहरण से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 07.02.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर रोड़बेज बस स्टैण्ड के पास से मु0अ0स0 374/25 धारा 87, 61(2)क बीएनएस थाना कोतवाली नगर में वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र मुस्लिम हाल पता शराफत नगर कालोनी न्यू रहीमाबाद थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ मूल पता तरवा थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

अभियुक्त का विवरण-

1. मोनू पुत्र मुस्लिम हाल पता शराफत नगर कालोनी न्यू रहीमाबाद थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ मूल पता तरवा थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर को

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 374/25 धारा 87, 61(2)क बीएनएस

गिफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धीरज कुमार
2. का0 रवि किरण सिंह

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 01 सप्ताह के साधारण कारावास की सजा व ₹ 1000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एसपीएल प्रथम एससीएसटी कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 07-02-2026 को मु0अ0सं0 2555/210 धारा 323, 504, 506, 34 भा.द.वि. व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना दोहरीघाट मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्त आरोपी नगदू व प्रमोद राजभर पुत्र नूर नेऊर राजभर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए दोषी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया गया एवं ₹ 1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 दुर्गेश चौहान का सराहनीय योगदान रहा।